उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.....सन् 2025)

राज्य में एक सम्बद्धताकारी तथा अध्यापन क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2 (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"विद्या और क्रियाकलाप परिषद्"** से इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या और क्रियाकलाप परिषद् अभिप्रेत है,

(ख) **"अधिनियम"** से उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 अभिप्रेत है,

(ग) **"संबद्ध महाविद्यालय"** से इस अधिनियम की धारा 30 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्थान अभिप्रेत है,

(घ) **"सहयुक्त क्रियाकलाप वाले विद्यालय/महाविद्यालय"** से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधिकृत कोई भी संस्थान, जिसमें उत्तराखण्ड क्रीड़ा विभाग की आधारभूत सुविधा और अपेक्षित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगात्मक सत्रों को पूरा करने के लिए संबद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की बाह्यतम सीमा से पंद्रह किलोमीटर के अर्द्धव्यास के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्रीड़ाओं के लिए कम से कम तीन इनडोर और दो आउटडोर क्रीड़ाओं के लिए क्रीड़ा सुविधाओं वाले उत्तराखण्ड क्रीड़ा महाविद्यालय/छात्रावास सम्मिलित हो, अभिप्रेत है;

(ङ) **बोर्ड"** से इस अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;

(च) **"अध्यक्ष"** से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(छ) "**कुलाधिपति**" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ज) "**महाविद्यालय**" से इस अधिनियम के अधीन कोई उपाधि या डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र आदि वाले पाठयक्रम को पढ़ाने वाला महाविद्यालय या संस्थान अभिप्रेत है;

(झ) "**संकायाध्यक्ष**" से इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ञ) "**विभाग**" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है तथा इसमें अध्ययन केन्द्र भी सम्मिलित है;

(ट) "**निदेशकों**" से धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का निदेशक अभिप्रेत है;

(ठ) "**कर्मचारी**" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें शिक्षक या विश्वविद्यालय के स्टाफ का कोई अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(ड) "**कार्य परिषद्**" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ढ) "**संकाय**" से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ण) '**वित्त समिति**" से इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(त) "**प्रधान कोच**" से इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रधान कोच अभिप्रेत है;

(थ) "**राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)**' से भारतीय राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद द्वारा कृत प्रमाणन अभिप्रेत है;

(द) "**कुलसचिव**" से इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव अभिप्रेत है;

(ध) "**विनियमावली**" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत है;

(न) "**विनियामक निकाय**" से समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय परिचर्या परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद तथा भारतीय भेषजी परिषद आदि सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;

(प) "**धारा**" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(फ) "**राज्य**" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(ब) "**परिनियम और "अध्यादेश**" से विश्वविद्यालयय के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत है,

(भ) "**छात्र**" से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सहबद्ध या सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के रजिस्टर में नामांकित कोई छात्र अभिप्रेत है;

(म) "**अध्ययन केन्द्र**" से सलाह देने, परामर्श करने, कोचिंग देने, प्रशिक्षण देने के प्रयोजनार्थ या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त कोई केन्द्र अभिप्रेत है;

(य) "**विश्वविद्यालय का अध्यापक**" से आचार्यो, सह आचार्यो, सहायक आचार्यो, प्रशिक्षकों और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान या अध्ययन केन्द्रों में अनुदेशों, कोचिंग, प्रशिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान करने हेतु नियुक्त अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(यक) "**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(यख) "**विश्वविद्यालय**" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(यग) "**विश्वविद्यालय के महाविद्यालय**" से महाविद्यालय जो इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाया जाता है या महाविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरित और चलाया जा सकता है, अभिप्रेत है;

(यघ) "**विश्वविद्यालय का विभाग**" से कोई विभाग जिसमें डिप्लोमा, उपाधि या स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई विभाग अभिप्रेत है;

(यङ) "**कुलपति**" से धारा 12 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

(2) एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन तथा बहुवचन में एकवचन सम्मिलित है।

(3) लिंग दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग सम्मिलित है।

अध्याय दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

3. (1) "उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय" नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) कुलपति, बोर्ड, कार्य परिषद, विद्या और क्रियाकलाप परिषद, निदेशक, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव और अन्य सभी व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारित किये रहते हैं, से उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय गठित होगा।

(3) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, संपत्ति अर्जित करने और रखने, अनुबंध करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी और वह उक्त नाम से, वाद करेगा या उस पर वाद किया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सभी वादों और अन्य विधिक कार्यवाही में, अभिवचनों पर कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा और ऐसी कार्यवाहियों की सभी प्रक्रियाएं कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उन्हें तामील की जाएगी।

(5) विश्वविद्यालय एक अध्यापन एवं सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और वह उसमें प्रवेश दिये गये छात्रों को कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त किये जाने या प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के निमित्त छात्रों के अध्यापन या कोचिंग के लिए किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्ध करेगा। स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य भी यू0जी0सी0/नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार संचालित किये जायेंगे।

(6) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से राज्य के भीतर स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त या संबद्ध सभी शारीरिक शिक्षा या क्रीड़ा महाविद्यालय या संस्थान इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध या उसके विशेषाधिकारों से संबद्ध माने जाएंगे।

(7) विश्वविद्यालय की विशिष्ट विशेषताएं:–

(एक) यह उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित और उसके तत्वावधान में अनुरक्षित और प्रशासित एक राज्य विश्वविद्यालय होगा;

(दो) यह विश्वविद्यालय की औपचारिक शिक्षा प्रणाली के समान शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करेगा, किन्तु यह उन खिलाड़ियों के लिए एकाधिक प्रवेश बिंदु होगा, जो निर्धारित ब्रिज कोर्स कर सकते हैं और औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित हो सकते हैं;

(तीन) इसमें शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा प्रशिक्षण, कार्यप्रणाली, उपकरण, शारीरिक फिटनेस, क्रीड़ा, औषधि आदि में विकास और अनुसंधान के लिए व्यापक भौतिक और शैक्षणिक आधारभूत सुविधाएं होंगी;

(चार) इसमें संबंधित क्रीड़ा महासंघों के सहयोग से चलाए जाने वाले विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र होंगे, जो एक उत्कृष्ट वृत्तिक केन्द्र होंगे, जो एक स्वायत्त विंग के रूप में एक संस्थागत ढांचे के साथ प्रतिभा को संवारने और संभावित खिलाड़ियों के लिए उनके क्रीड़ा कौशल का सम्मान करने के लिए कार्य करेंगे। उत्कृष्टता केन्द्र में मेंटर–आधारित

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

मॉड्यूल होंगे, जहां संभावित खिलाड़ियों को परामर्श देने के लिए स्थापित खिलाड़ियों को संस्थान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जहां उत्कृष्टता केन्द्र में विभिन्न भाग होंगे जैसे दौड़, (एथेलेटिक्स) जलीय, साहसिक क्रीड़ा, कॉम्बैट गेम्स, स्वदेशी क्रीड़ा शाखाओं आदि। गुणवत्ता संचालित प्रशिक्षण सुविधा और बुनियादी ढांचे को बनाए रखना सभी शाखाओं के लिए अनिवार्य होगा। उत्कृष्टता केन्द्र में प्रवेश के लिए क्रीड़ा प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले या रखने वाले व्यक्तियों के लिए एकाधिक प्रवेश और विशेष प्रेरण कार्यक्रम के लिए उपयुक्त प्रावधान करेगा;

(पांच) विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड सरकार के प्रारंभिक अनुदान से की जाएगी किन्तु इसे अपने आवर्ती व्यय के लिए स्वयं के राजस्व सृजन मॉडल विकसित करने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा;

(छः) विश्वविद्यालय क्रीड़ा सुविधा शेयरिंग मॉडल (साझा) पर संचालित करने का प्रयास किया जायेगा जिससे विश्वविद्यालय विद्यमान क्रीड़ा सुविधाओं तथा संरचना को उत्तराखण्ड सरकार के आदेश के अधीन साझा करेगा;

(सात) विश्वविद्यालय खेलकूद, क्रीड़ा भावना, स्वस्थ जीवन शैली, क्रीड़ा मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम आदि जिसमें महिलाओं तथा दिव्यांग जैसे विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सामुदायिक आउटरीच और विस्तार वरिष्ठ नागरिक, आदि पर विशेष जोर दिया जायेगा, कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रयास करेगा;

(आठ) विश्वविद्यालय के एकाधिक प्रवेश बिंदु होंगे जिससे इच्छुक छात्रों तथा पेशेवर खिलाड़ियों को क्रीड़ा के किसी न किसी पहलू में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा;

(नौ) विश्वविद्यालय के पास उपयुक्त प्रवेश बिंदु पर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए क्रीड़ा महाविद्यालयों, क्रीड़ा छात्रावासों के छात्रों के लिए पर्याप्त कोटा होगा।

विश्वविद्यालय का मुख्यालय

4. विश्वविद्यालय का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:

(एक) शारीरिक अभिरूचि वाले तरूण और ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास वृत्ति मार्ग का उपबंध करना जो क्रीडा को वृत्ति के रूप में ग्रहण करने के इच्छुक हैं और अपने सम्पूर्ण वृत्ति को ओलम्पिक मान्यताप्राप्त क्रीड़ा के प्रति समर्पित करते है तांकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच सकें और भारत के लिए पदक जीत सकें तथा कोच, प्रबन्धक या क्रीड़ावृत्तिक होकर

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उक्त व्यवसाय में निरंतर बने रहने के इच्छुक हो;

(दो) क्रीड़ा शिक्षा, के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से अभिकल्पित क्रीड़ा कौशल विकास तथा शैक्षणिक सूचनाओं का उपबंध करके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निरंतर प्रदर्शन में अभिवृद्धि की अवधारणा को ग्रहण करते हुए खिलाड़ियों के भौतिक एवं कौशलपूर्ण मानकों को विकसित करना और खिलाड़ियों तथा कोचों में क्रीड़ाओं हेतु विकसित क्रीड़ा प्रोद्योगिकी भी समाविष्ट करना;

(तीन) खिलाडियों को क्रीड़ाओं में उनकी वृत्ति के साथ ही स्नातक, परास्नातक उपाधि, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र अर्जित करने हेतु सहायता करना;

(चार) क्रीड़ा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान कला और एथलेटिक्स, विशेषतः प्राथमिकता वाले क्रीड़ाओं जैसे बैडमिंटन, बाक्सिंग, जूडो, ताईकांडो, शूटिंग, बालीबाल आदि जैसे उत्तराखण्ड क्रीड़ा नीति, 2021 में परिभाषित है, पर विशेष रूप से केन्द्रित करते हुए ओलम्पिक क्रीड़ाओं हेतु उच्च प्रर्दशन युक्त क्रीड़ा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट क्रीड़ा अनुशासन पर केन्द्रित करते हुए विशिष्ट केन्द्र तथा उत्कृष्ट संस्थाए स्थापित करना;

(पांच) विकसित शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा कोचिंग के ज्ञान का उपबंध करना, शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से अभिकल्पित शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे विकसित क्रीड़ा प्रौद्योगिकियों का उपबंध करना जिसमें विशेषज्ञता उत्पन्न करने तथा शारीरिक शिक्षा को सशक्त करने हेतु सैद्धान्तिक सूचना तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण और क्रीड़ा प्रदर्शनों के सम्बर्द्धन हेतु क्रीड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित है;

(छः) सामुदायिक पहुंच तथा विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से क्रीड़ाओं को प्रचलित करना;

(सात) शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा आर्युविज्ञान, जैव यांत्रिकी, क्रीड़ा पोषण, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा संचार तथा पत्रकारिता, दिव्यांगता क्रीड़ा, योग, व्यायाम एवं स्वस्थता, चिकित्सा, पर्यटन, साहसिक क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, क्रीड़ा प्रबंधन, क्रीड़ा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का विकास करने और समस्त क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा के लिये अंतःविषय क्षमताएं जनित करना;

(आठ) शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी से सम्बंधित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान और समस्त क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचना का उपबंध करने की क्षमताएं जनित करना;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(नौ) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी और समस्त क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रबंधन हेतु क्रीड़ाओं से सम्बंधित विशेषज्ञ क्षेत्रों जैसे परामर्शकरण, परीक्षण, आंकड़ा विश्लेषण, स्वस्थता तथा तंदुरस्ती क्रीड़ा और प्रबंधन, आभासी बुद्धिमता अनुप्रयोग जीवन रक्षा आदि में अत्यंत अर्ह वृत्तिकों को तैयार करना;

(दस) जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोज और परामर्श के लिए एक प्रणाली स्थापित करना;

(ग्यारह) शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा इवेन्ट प्रबंधन तथा क्रीड़ा जनसंचार के क्षेत्र में ज्ञान और विकास के लिये और समस्त क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा के लिये उच्च प्रर्दशन युक्त प्रशिक्षण के लिए अग्रणी संसाधन केन्द्र के रूप में कृत्य करना;

(बारह) समस्त क्रीड़ाओं और क्रीड़ा के लिए शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, जैव यांत्रिकी, पोषण और उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उपबंध करना;

(तेरह) समस्त क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा के लिए शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा चिकित्सा, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा आर्युविज्ञान तथा उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण में अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के प्रयोजनार्थ विद्यालय, महाविद्यालयों, क्रीड़ा एवं मनोरंजन क्लबों, समितियों, क्रीड़ा संघों और अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघों, अकादमियों तथा संस्थाओं से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना;

(चौदह) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा आर्युविज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी और अन्य सम्बंधित क्षेत्रों में वृत्तिक मार्गदर्शन तथा प्लेसमेंट सेवाओं का उपबंध करना;

(पन्द्रह) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पर, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला होगा

6. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के रूप में ग्रहण किये जाने हेतु उसे हकदार करने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में किसी छात्र को प्रवेश दिये जाने या वहां पर स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग करने या उसका प्रयोग करने के उद्देश्य से किसी भी लिंग और किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या धर्म या वर्ग या जन्म स्थान, धार्मिक विश्वास या वृत्ति या राजनैतिक राय या अन्य राय के व्यक्तियों के लिए खुला होगा :

परन्तु यह कि इस धारा में कोई भी बात, महिलाओं, दिव्यागों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों और विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं माना जायेगा।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य

7. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:–

(1) प्रशासनिक शक्तियां और कृत्यः

(एक) विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों का प्रशासन और प्रबन्धन करना और अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेशों के लिए ऐसी संस्थाओं और केन्द्रों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय के उदेश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(दो) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाय, परीक्षाएं आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करना या प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक सम्बंधित विशेष उपाधियां या अभिधान प्रदान करना, और किन्हीं ऐसी उपाधियों, प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक सम्बंधी विशेष उपाधियां या अभिधानों को ऐसी रीति में वापस लेना या रदद् करना जैसा विहित किया जाय;

(तीन) ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करना;

(चार) अनुसंधान और विकास के लिए ऐसे विशिष्ट अध्ययन केन्द्र या अन्य इकाईयॉ स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(पांच) विशिष्टिकृत एकल पाठ्यक्रमों अभिकल्पित करने तथा प्रारम्भ करने के लिए समान या समकक्ष उद्देश्यों वाली किसी शैक्षिक संस्था के साथ सहयोग करना या सहयोजन करना;

(छः) विश्व के किसी भी भाग में विश्वविद्यालय के उददेश्यों के पूर्णतः या अंशतः समान उददेश्यों वाली शैक्षिक या अन्य संस्थाओं से अध्यापकों, छात्रों एवं विद्वानों को, सामान्यतः ऐसी रीति में, जो कि उनके समान उद्देश्यों के लिये अनुकूल हो, आदान–प्रदान के माध्यम से जुड़ाव विकसित करना और उन्हें अनुरक्षित रखना;

(सात) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व के किसी भी भाग में अध्यापकों, कोचों, अनुसंधानकर्ताओं, विशेषज्ञों, क्रीड़ा संघों और परिसंघों से संबंध विकसित करना और और उसे बनाये रखना;

(आठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास के लिये छात्रावास और संकायो, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये वास स्थान और क्रीड़ा अवसंरचना हॉलों की स्थापना, अनुरक्षण तथ प्रबंध करना;

(नौ) निवास स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों के संबर्द्धन के लिये व्यवस्था करना;

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(दस) अध्येतावृतियॉ, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार, पदक और अन्य सम्मान संस्थित करना और प्रदान करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु आवश्यक या सुविधाजनक कार्यों हेतु किसी भूमि या भवन या क्रीड़ा काम्पलेक्स या क्रीड़ा अवसंरचना और वैज्ञानिक क्रीड़ा अनुसंधान उपकरणों या इण्डोर स्टेडियम को ऐसी निबंधन एवं शर्तो पर क्रय करना या उन्हें पट्टे पर लेना, जैसा वह उचित व ठीक समझे और ऐसे किन्हीं भवनों या कर्मशालाओं का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना या उनका अनुरक्षण करना;

(बारह) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की चल या अचल संपत्तियों के सम्पूर्ण या किसी भाग को ऐसी शर्तो, जैसा कि वह उचित समझे और जो विश्वविद्यालय के हितों, क्रियाकलापों और उद्देश्य से संगत हो पर विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निस्तारण करना;

(तेरह) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् चल या अचल सम्पति के सम्बंध में अंतरणों, बन्धकों, पटटों, अनुज्ञप्तियों, अनुबंधों से सम्बंधित हस्तान्तरण पत्र तथा अन्य हस्तातंरण पत्र निष्पादित करना जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ अर्जित की जाने वाली प्रतिभूतियां भी सम्मिलित है;

(चौदह) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना और उन पर स्थायी पद या अस्थायी पद के आधार पर या संविदात्मक आधार पर नियुक्तियां करना;

(पन्द्रह) विभिन्न क्रीड़ाओं और क्रीड़ा के लिए आचार्य पद, सह–आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद, विन्यासित आचार्य पद, मानद आचार्य पद, अनुबद्ध आचार्य पद, एमेरिट्स आचार्य पद संस्थित करना और क्रीड़ा विज्ञान के लिये कोई अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या अनुसंधान सम्बंधी पदों को यू0जी0सी0/नियामक निकाय द्वारा विहित अर्हताएं अनुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति से संस्थित करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय में निदेशकों, संकायाध्यक्षों, आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्रधान कोचों, प्रशिक्षकों, अनुबद्ध आचार्यों, या विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापकों और अनुसंधानकर्ताओं के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(सत्तरह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित एवं प्रवर्तित करना और इस अधिनियम के अधीन परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा यथा विहित अनुशासनात्मक उपायों का उपबंध करना;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(अठारह) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जैसा कि विश्वविद्यालय अपने समस्त या किसी उद्देश्य की प्राप्ति या उसक सम्बर्द्धन के लिये आवश्यक, अनुकूल या आनुषंगिक समझे;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय/संस्था में किसी सम्बद्ध पाठयक्रम में किसी छात्र को प्रवेश दिये जाने हेतु, छात्र को किसी ओलंम्पिक क्रीड़ा के अंतर्गत किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में कम से कम कोई पदक/पुरस्कार जीतना आवश्यक है;

(बीस) इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन विहित अर्हता के अनुसार किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त करना;

(इक्कीस) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वृत्तिक संगठनों या निकायों के साथ संपर्क या सदस्यता रखना;

(बाईस) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च ज्ञानार्जन वाली संस्था जिसमें देश से बाहर की संस्थाए सम्मिलित है, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार करना, सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(तेईस) क्रीड़ाओं से सम्बंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार और राज्य/राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघों को तकनीकी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(चौबीस) परिनियमावली द्वारा निर्धारित किये जाने वाली शर्तो के आधार पर भारत में या उसके बाहर किसी महाविद्यालय या संस्था के लिए उसके विशेषाधिकारों को ग्रहण करना;

(पच्चीस) किसी महाविद्यालय या संस्था में अनुदेश प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अनुसार प्रवेश दिये गये व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना।

(2) शैक्षणिक, पाठ्यक्रम और अनुसंधान संबंधी शक्तियां और कृत्यः

(एक) क्रीड़ा /शारीरिक शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों में स्नातक/परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाना;

(दो) जिला स्तर पर अपनी क्रीड़ा प्रतिभा को साबित करने वाले और विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार खिलाड़ियों को प्रवेश देना और खिलाड़ियों को प्रारंभिक चरण (जैसे 12 वर्ष की आयु से आगे) में तैयार करना जिसमें कि वे विश्वविद्यालय से अग्रवर्ती प्रक्रम में जुड़ सकें;

(तीन) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान या सीखने की ऐसी शाखाओं में निर्देश, कोचिंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान करना और सभी क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा के लिए और उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण प्रदान करना;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(चार) समस्त क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा के लिए वैज्ञानिक क्रीड़ा प्रशिक्षण प्रणाली और क्रीड़ा विज्ञान में ऐसी शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा प्रशिक्षण और अनुसंधान के मानक प्राप्त करने के उदेश्यों से क्रीड़ा विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन क्षेत्र में नयी पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी में अभिनव प्रयोग संचालित करना;

(पांच) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित करना और मुक्त, इलेक्ट्रॉनिक और दूरस्थ शिक्षा सहित शिक्षा प्रणाली तथा सिद्धान्त परिदान में लचीलापन प्रदान करना;

(छः) अनुसंधान और अन्य कार्यों के ई–प्रकाशन, मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन के लिए सुविधाएं प्रदान करना और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, विचार–गोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना;

(सात) शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और सभी क्रीड़ाओं और क्रीड़ा के सभी पहलुओं के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में अनुसंधान को प्रायोजित और संचालित करना;

(आठ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रमों के लिए विहित रीति से छात्रों को प्रवेश देना;

(नौ) क्रीड़ाओं और उससे संबद्ध कियाकलापों के क्षेत्र में वृत्तिक मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेवाएं प्रदान करना;

(दस) वाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तारीकरण सेवाओं को आयोजित करना और संचालित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय में प्रवेश के ऐसे मानकों का निर्धारण करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो;

(बारह) विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को अनुशिक्षण, प्रशिक्षण और अन्य सहायता प्रदान करना;

(तेरह) फिल्म, कैसेट्स, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य सॉफ्टवेयर सहित अनुदेशात्मक और प्रशिक्षण सामग्रियां तैयार करने के लिए उपबंध करना;

(चौदह) सेमेस्टर प्रणाली, सतत मूल्यांकन और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली हेतु उपबंध करना और क्रेडिट अंतरण और संयुक्त उपाधि कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ करार करना;

(पन्द्रह) अध्यापकों के मूल्यांकन सहित विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(3) वित्त संबंधी शक्तियां और कृत्यः

(एक) व्यय को विनियमित करना, वित्त व्यवस्था का प्रबंध करना और विश्वविद्यालय के लेखों का रख–रखाव करना;

(दो) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के उददेश्यों के अनुरूप अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, दान तथा उपहार प्राप्त करना और अनुदान को प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम (पीएसयू) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरण या निकाय, के साथ कोई करार करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए चल और अचल संपत्तियों के अंतरण द्वारा उपहार, दान, उपकृति या वसीयत स्वरूप में उद्योगों, संघों, परिसंघों या किसी अन्य स्रोत से निधियां प्राप्त करना;

(चार) शुल्क तथा यथाविहित अन्य प्रभार नियत करना उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(पांच) सरकारी वचनपत्रों और अन्य वचन पत्र, विनिमय के कार्य, चेक या अन्य परक्राम्य लिखित आहरित करना और स्वीकार करना, उन्हें बनाना और पृष्ठांकित करना, बट्टे पर देना और परक्रामण करना;

(छः) बंधपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या विश्वविद्यालय की समस्त सम्पतियां तथा आस्तियों या किसी सम्पति या आस्ति पर आधारित या अवलंबित अन्य इकरारों या प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना और ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, पर धन जुटाना एव उधार लेना और राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उधार ली गयी धनराशि का प्रतिसंदाय करने हेतु धन जुटाने से आनुषांगिक समस्त व्ययों का भुगतान, विश्वविद्यालय की निधियों में से करना;

(सात) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की निधि का निवेश करना।

(4) प्रकीर्ण शक्तियां और कृत्यः

(एक) क्रियाकलापों, वित्त आदि की समस्त रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप में वेब पोर्टल पर अनुरक्षित करना;

(दो) खेलो इंडिया योजना या राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज और पहचान योजना के अधीन उपबंधित प्रक्रियाओं और मानकों को प्रभावी बनाना;

(तीन) राष्ट्रीय मूल्यॉकन और प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा; और

(चार) प्रभावी प्रबंधन जानकारी ई–शासन सहित प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

प्रत्यायोजन की शक्ति

8. इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी विनियमावली के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी, आदेश द्वारा, अपनी शक्तियों (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) अपने नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को इस शर्त के अधीन प्रत्यायोजित कर सकता है कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का अंतिम उत्तरदायित्व उस अधिकारी या प्राधिकारी में निहित रहेगा, जिन्हें प्रत्यायोजित किया गया हो।

राज्य सरकार की निरीक्षण और जांच करने की शक्ति

9. (1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय, संस्थान या केन्द्र के भवनों, क्रीड़ा प्रसुविधाओं के बुनियादी ढांचे, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय, कार्यशाला और उपस्करों का निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्यापन एवं अन्य कार्यों और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के संचालन का निरीक्षण कराने, की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के प्रशासन, शैक्षणिक क्रियाकलापों से जांच और वित्तीय मामलों से जुड़े मामलों में भी समान रीति से जांच कराने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगी और विश्वविद्यालय को उसमें प्रतिनिधित्व करने का हक होगा।

(3) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के संदर्भ में अपना अभिमत विश्वविद्यालय को संसूचित करेंगे और इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय को परामर्श देगी।

(4) जहां विश्वविद्यालय द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर, राज्य सरकार के समाधान पर कार्रवाई नहीं की जाती है, वहां राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

अध्याय तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(एक) कुलाधिपति,

(दो) कुलपति,

(तीन) निदेशकगण,

(चार) संकायाध्यक्ष,

(पांच) प्रधान कोच,

(छः) कुलसचिव ,

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(सात) वित्त अधिकारी,

(आठ) परीक्षा नियंत्रक,

(नौ) पुस्तकालयाध्यक्ष, तथा

(दस) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाय।

कुलाधिपति

11. (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वह विश्वविद्यालय के पदेन प्रधान होंगे और वह जब उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कोई मानद् उपाधि या अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित कार्यकलापों की ऐसी जानकारी या अभिलेख प्रस्तुत करें, जिसकी कुलाधिपति मॉग करे।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियों होंगी जो उन्हें परिनियमों द्वारा या तद्धीन प्रदान की जाय।

कुलपति

12. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों के मध्य में से की जायेगी, जिनके नाम, उपधारा (2) के उपबंध के अनुसार उपधारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा उन्हें सौंपे गये हों।

(2) कुलपति के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्तिः–

(एक) सिद्ध नेतृत्व गुण, प्रशासनिक क्षमता के साथ–साथ शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा के क्षेत्र में अध्यापन और अनुसंधान रखने वाला दूरदर्शी व्यक्ति हो;

(दो) सम्पूर्ण शैक्षिक रिकार्ड उत्कृष्ट होने के साथ–साथ विश्वविद्यालय प्रणाली में आचार्य/निदेशक शारीरिक शिक्षा/वरिष्ठतम क्रीड़ा प्रशासक /वरिष्ठतम क्रीड़ा प्रबंधक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अथवा ऐसा ख्याति प्राप्त खिलाड़ी जिसे अंतराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव हो;

(तीन) कुलपति भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु नामांकन की तिथि को 40 वर्ष से कम न हो तथा 65 वर्ष से अधिक न हो।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट क्रीड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/नियामक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(तीन) राज्य सरकार के क्रीड़ा विभाग का प्रभारी सचिव संयोजक;

(चार) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(4) उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार नियुक्त समिति राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट समय के भीतर और ऐसी रीति से तीन व्यक्तियों का चयन करेगी, जो उपधारा (2) में उल्लिखित अर्हताएं धारण करते हों, जिन्हें वह कुलपति के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त समझती हो और इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नामों को ऐसे अन्य विवरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को संस्तुत करेगी। राज्य सरकार नामिका (पैनल) को कुलपति की नियुक्ति हेतु कुलाधिपति को भेजेगी:

परन्तु यदि कुलाधिपति पैनल में सम्मिलित किसी व्यक्ति का अनुमोदन नही करता है, तो वह नये विस्तारित पैनल की मांग कर सकेगा:

(5) जहां कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति, त्यागपत्र, बीमारी, अवकाश या अन्यथा कोई रिक्ति उत्पन्न होती है और जहां रिक्ति उपधारा (3) और (4) के अधीन भरी नहीं जा सकती, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य को छः माह से अनधिक अथवा नियमित कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो, कुलपति नियुक्त कर सकेगा, जिसे एक बार और अगले छः माह तक बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई जांच या आनुशासनिक कार्यवाही लंबित या विचारार्थ न हो:

परन्तु यह और कि यदि कुलाधिपति विश्वविद्यालय में किसी उचित और वरिष्ठ आचार्य को नही पाता है तो वह राज्य विश्वविद्यालय के किसी अन्य कुलपति को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंप सकता है।

(6) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अग्रतर तीन वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कुलपति का पद धारण नहीं करेगा।

(7) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(8) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(9) कोई व्यक्ति नियुक्त होने या कुलपति बनाये जाने के लिए अनर्ह होगा–

(एक) यदि वह संसद या किसी राज्य विधान–मंडल या किसी स्थानीय निकाय का सदस्य है; या

(दो) यदि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य है; या

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(तीन) यदि वह दिवालिया हो या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है;

(चार) यदि वह विकृत मानसिकता का है या राक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(पांच) यदि वह किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो।

कुलपति की शक्तियां और कृत्य

13. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, कुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अपने भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, क्रीड़ा अवसंरचनात्मक सुविधाएं, उपस्करों, प्रणालियां, प्रक्रियाएं और अपने किसी भी संस्थान या केन्द्र को और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करायी गयी परीक्षाओं, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्यों की निरीक्षण कराने या पुनरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय के प्रशासन, शैक्षणिक क्रियाकलापों और वित्त से सम्बंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्देश दे, समान रीति से जांच कराने की भी शक्ति होगी।

(2) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपतिः–

(एक) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा। वह विद्या एवं क्रियाकलाप परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा;

(तीन) विश्वविद्यालय में अनुदेश देने और अनुशासन के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा; तथा

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या विनियमों द्वारा या जैसा बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायं या उसके अधीन समनुदेशित किये जायं।

(3) जहां कोई मामला आत्यांतिक प्रकृति का हो जिसमें तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो और उस पर कार्रवाई करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय द्वारा तुरंत व्यवहृत किया जाना सम्भव न हो तो, कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और अपने द्वारा इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना विश्वविद्यालय के उस प्राधिकरण या निकाय को तुरन्त सूचित की जायेगी, जिसके द्वारा सामान्य प्रक्रम में उस मामले को व्यवहृत किया गया हो:

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

परन्तु यह कि यदि ऐसे प्राधिकरण या अन्य निकाय का यह मत हो कि कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को बोर्ड को संदर्भित कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, या उसे ऐसी रीति में संशोधित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और तदुपरान्त, यथास्थिति, उस कार्रवाई का प्रवर्तन समाप्त माना जाएगा या ऐसे संशोधित रूप में प्रवृत्त माना जाएगा, तथापि ऐसा संशोधन या रद्दकरण कुलपति द्वारा पूर्व में की गयी या आदेश द्वारा करायी गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन कुलपति द्वारा प्रयोग की गयी शक्तियों में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का मामला हो, वह ऐसी नियुक्ति को इस अधिनियन व विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में ऐसी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा, कुलपति के आदेश करने की तारीख से छः माह से अनधिक समय में संपुष्ट किया जाएगा, अन्यथा ऐसी नियुवित्त कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान पर निष्प्रभावी हो जाएगी।

निदेशक

14. (1) विश्वविद्यालय के निदेशकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय, की जायेगी।

(2) निदेशकगण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, शारीरिक क्रियाकलापों, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य मामलों के प्रबन्धन में कुलपति की सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का सम्पादन करेंगे जैसा कुलपति द्वारा उन्हें विहित किया जाय या सौंपे जाय।

संकायाध्यक्ष

15. (1) संकायाध्यक्षों की नियुवित्त विश्वविद्यालय के संकायों में से कुलपति द्वारा परिनियमावली में विहित सम्यक् प्रक्रिया से की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अन्य क्रियाकलापों के प्रबंध करने में संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति और निदेशक की सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का सम्पादन करेंगे जो उन्हें कुलाधिपति और निदेशक या कुलपति द्वारा विहित किया जाय या सौंपा जाय।

प्रधान कोच

16. (1) प्रधान कोचों की नियुवित्त विश्वविद्यालय के कोचिंग संकायों में से कुलपति द्वारा सम्यक् विधिक प्रक्रिया के अनुसरण करते हुए की जायेगी।

(2) प्रधान कोच, विश्वविद्यालय केंद्र के शैक्षणिक और अन्य प्रशिक्षण मामलों के प्रबन्धन में उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति और निदेशक की सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाय या कुलपति और निदेशक द्वारा उन्हें सौंपे जायें।

कुलसचिव

17. (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जैसे राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये नियामक निकायों के मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीयकृत सेवाओं में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगाः

परन्तु यदि कुलसचिव का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो राज्य सरकार कुलपति के परामर्श से विश्वविद्यालय के आचार्य अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों में से कुलसचिव के पदग्रहण करने और पुनःग्रहण करने तक किसी उचित व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा।

(2) कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा, अर्थात्–

(एक) वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और विश्वविद्यालय की संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;

(दो) वह बोर्ड और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी सभी सूचनाएं और अभिलेख प्रस्तुत करेगा जो इसके कारबार संचालन के लिए आवश्यक हों;

(तीन) वह अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(चार) वह विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा और परीक्षा संचालित करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी अन्य व्यवस्था करेगा और उससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा;

(पांच) वह विश्वविद्यालय की ओर से सभी दस्तावेजों को सत्यापित और निष्पादित करेगा;

(छः) वह विश्वविद्यालय द्वारा लाये गये या उसके विरुद्ध सभी वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचनों का सत्यापन करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में सभी आदेशिकाएं कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी; तथा

(सात) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो उसे इस अधिनियम या उनके अधीन, विनियमों द्वारा या तद्धीन उसे सौंपी जाय अथवा बोर्ड या कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित की जाय।

वित्त अधिकारी

18. वित्त अधिकारी ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्य सम्पादित करेगा जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जायः

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

परन्तु यदि सरकार उचित समझे, कुलपति के परामर्श से किसी सरकारी अधिकारी को वित्त अधिकारी का कार्य करने हेतु ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जैसा सरकार विहित करें, प्रतिनियुक्त कर सकेगी।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां ऐसी होंगी जैसी समय–समय पर विहित की जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:

(एक) बोर्ड,

(दो) कार्य परिषद्,

(तीन) विद्या और क्रियाकलाप परिषद्,

(चार) वित्त समिति, तथा

(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किए जायं।

विश्वविद्यालय का बोर्ड

21. (1) विश्वविद्यालय के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् –

(एक) कुलाधिपति जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का एक निदेशक नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(चार) एक प्रधान प्रशिक्षक चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(पांच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति।

(2) कुलसचिव बोर्ड का सचिव होगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

22. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड विश्वविद्यालय के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और कार्यकलापों पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसे विश्वविद्यालय की विद्या और क्रियाकलाप परिषद्, वित्त समिति और अन्य समितियों या विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कृत्यों को पुनरीक्षित करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्–

(एक) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य सम्पादन के सम्बंध में नीति के प्रश्न पर विनिश्चय करना, समय–समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना और विश्वविद्यालय की अभिवृद्धि और विकास के लिए उपाय सुझाना;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(दो) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक बजट पर विचार करना और अनुमोदित करना और ऐसे लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के धनराशियों तथा निधियों का विनिधान करना और वित्त समिति की संस्तुतियों पर विनिश्चय करना;

(चार) अध्यापनों, पुस्तकों, सामाजिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों और अन्य साहित्य का समय–समय पर प्रकाशन या प्रकाशन का वित पोषण करना और उनका विक्रय करना या विक्रय की व्यवस्था करना, जैसा वह उचित समझे;

(पांच) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों को सृजित करना या समाप्त करना;

(छः) ऐसी समितियों को नियुक्त करना जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के संपादन के लिए आवश्यक हो;

(सात) विश्वविद्यालय के निदेशकों संकायाध्यक्ष, कुलसचिव, प्रधान कोचों या किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी या प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजन करना;

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसी अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम, विनियमावली द्वारा तद्धीन उसे प्रदान किये जाय या उस पर अधिरोपित किया जाय और ऐसी अन्य शक्तियां जो विश्वविद्यालय के उदेश्य की प्राप्ति के लिए हों।

(3) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय् धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (तीन), (चार) और (पांच) के अधीन नामनिर्दिष्ट बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि उनके नाम निर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

(4) धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (तीन), (चार) और (पांच) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर से अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपना पद त्याग कर सकता है और उसका त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।

कार्य परिषद्

23. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: –

(क) कुलपति,– अध्यक्ष (पदेन सदस्य)

(ख) सचिव, खेल विभाग, उत्तराखण्ड शासन –पदेन सदस्य,

(ग) निदेशक खेल , उत्तराखण्ड,– पदेन सदस्य,

(घ) सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन–पदेन सदस्य,

(ङ) महासचिव, उत्तराखण्ड ओलम्पिक संघ– पदेन सदस्य,

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट पदेन सदस्यों के अतिरिक्त कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(एक) चक्रानुक्रम में एक संकायाध्यक्ष,

(दो) चक्रानुक्रम में तीन वरिष्ठ आचार्य,

(तीन) क्रीड़ा वैज्ञानिक, क्रीड़ा प्रशासकों, विख्यात खिलाड़ियों तथा विशिष्ट कोचों में से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति,

(चार) क्रीड़ा क्षेत्र में विख्यात खिलाड़ियों/शिक्षाविदों में से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्य अथवा ऐसे सदस्य जो चक्रानुक्रम के आधार पर सदस्य है, की पदावधि 2 वर्ष होगी।

कार्य परिषद् की शक्तियां

24. इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये अध्यादेश/परिनियमावली के उपबंधों के अधीन कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का संपादन करेगी, अर्थात् –

(क) विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों का विनिश्चय करना तथा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्णित या संदर्भित विभिन्न प्राधिकरणों तथा समितियों की सिफारिशों/कार्यवृत्त का परीक्षण और अनुमोदन करना;

(ख) चयन समितियों की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विनियामक निकायों के विनियमों के अनुसार समय समय पर अध्यापकों, अधिकारियों तथा समकक्ष कर्मचारियों तथा अन्य समूह "क" के पदों पर पर नियुक्ति करना तथा विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी करना;

(ग) क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों को राज्य लोक विश्वविद्यालय के अंतर्गत सम्बद्धता से सम्बंधित मामले विनिश्चित करना;

(घ) निधि का आवंटन/पुर्नआंवटन तथा विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट के भीतर व्यय सुनिश्चित करना;

(ङ) डिग्री, डिप्लोमा, पुरस्कारों आदि से सम्बंधित सभी मामलों का विनिश्चय करना;

(च) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय की सम्पति तथा आस्तियां का अधिग्रहण/विक्रय या निस्तारण/विक्रय करना;

(छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियो, अधिकारियों के कर्तव्यों के लिए इस अधिनियम की रूपरेखा और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय की परिनियमावली तथा अध्यादेशों को बनाना तथा संशोधित करना;

(ज) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को शैक्षणिक के साथ शिक्षणेत्तर पदों के सृजन हेतु सिफारिश करना ;

(झ) अन्य ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करना जैसा अध्यादेशों /परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विद्या और क्रियाकलाप परिषद्

25. (1) विश्वविद्यालय की विद्या और क्रियाकलाप परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

(एक) कुलपति– अध्यक्ष,

(दो) बोर्ड/कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो शिक्षाविद् या वृत्तिक,

(तीन) कार्य परिषद्/बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान के क्षेत्र में दो शिक्षाविद् या वृत्तिक, जिन्होंने ओलंपिक या विश्व चौंपियनशिप में विशिष्टता हासिल की हो;

(चार) विश्वविद्यालय का निदेशक;

(पांच) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष;

(छः) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट एक प्रधान कोच;

(सात) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय से चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक संकाय का एक आचार्य;

(आठ) कुलसचिव सदस्य सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (दो), (तीन), (पांच), (छः) और (सात) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

विद्या और क्रियाकलाप परिषद् की शक्तियां और कृत्य

26. इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए अध्यादेश/विनियमों के अधीन, विद्या और क्रियाकलाप परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् –

(एक) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण रखना और विश्वविद्यालय में अनुदेश, शिक्षा और मूल्यांकन के मानकों को अनुरक्षित रखने और सुधार के लिए उत्तरदायी होगी;

(दो) सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर या स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के संकाय या बोर्ड के संदर्भ पर विचार करना और उस पर समुचित कार्रवाई करना;

(तीन) छात्रों के मध्य अनुशासन सहित विश्वविद्यालय के विद्या सम्बंधी कार्य के संबंध में बोर्ड को ऐसे विनियमों की संस्तुति करना जो इस अधिनियम के संगत हों; तथा

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायं या अधिरोपित किये जायं।

वित्त समिति

27. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) बोर्ड के दो सदस्य (उनमें से एक बोर्ड का सरकारी नाम निर्देशित होगा), बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) वित्त अधिकारी,–सदस्य सचिव;

(घ) वित्त के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ङ) एक आचार्य, चक्रानुक्रम से कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(च) एक प्रधान कोच, चक्रानुक्रम से बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा;

(छ) कुलसचिव,

(2) खंड (ख), (घ), (ङ) और (च) के अधीन नामित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

वित्त समिति की शक्तियां और कृत्य

28. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, वित्त समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्–

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना उस पर बोर्ड को परामर्श देना;

(2) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समय–समय पर समीक्षा करना;

(3) विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय नीति मामलों पर बोर्ड को सांस्तुतियां देना;

(4) निधियों में वृद्धि करने, प्राप्तियों और व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों पर बोर्ड को संस्तुतियां देना;

(5) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त उपबंधित करना;

(6) ऐसे व्ययों जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या जिसमें बजट में प्रावधानित धनराशि की अधिकता में व्यय को उपगत किये जाने की आवश्यकता सम्मिलित है सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को संस्तुतियां देना;

(7) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उच्चीकरण और उन मदों से जो बजट में सम्मिलित नहीं हैं, से सम्बंधित समस्त प्रस्तावों का बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व परीक्षण करना;

(8) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए गये हों।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

29. अन्य प्राधिकारी का गठन, शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमावली द्वारा घोषित किये जायें।

अध्याय चार

संबद्धता

सम्बद्धता

30. (1) बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी महाविद्यालय/संस्था को

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

सम्बद्ध कर सकता है जो परिनियमों में विहित सम्बद्धता की शर्तों को पूर्ण करता हो:

परन्तु यह कि जब तक किसी महाविद्यालय/संस्था द्वारा संबद्धता की सभी विहित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसके लिए पूर्वगामी उपबंध के अधीन संबद्धता प्रदान की गयी हो, के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं देगा।

(2) विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला कोई विद्यालय या संस्थान महाविद्यालय पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रस्तावित तिथि से छह माह पूर्व, कुलसचिव को विश्वविद्यालय द्वारा उपबंधित विहित प्रपत्र में ई–हस्ताक्षर सहित एक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले किसी महाविद्यालय या संस्थान को ऐसे प्रपत्र में शुल्क तथा प्रतिभूति ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऐसे निर्धारित सन्नियमों और मानदंडों को पूरा करना होगा जैसा विहित किया जाय।

(4) महाविद्यालय/संस्था के पास शाखा से संबन्धित नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा राज्य सरकार/क्रीड़ा विश्वविद्यालय के मानदण्डों के अनुसार आवश्यक भूमि, संरचनात्मक अध्यापन संकाय तथा अन्य सुविधा होनी चाहिए।

(5) प्राप्त आवेदन पत्रों की कार्यवाही प्रकिया समिति द्वारा सम्बद्धता हेतु क्रीड़ा महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने पर निर्णय लेने की प्रक्रिया राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले परिनियमों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(6) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऐसा कोई महाविद्यालय, जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व विनिर्दिष्ट विषय में एक संस्थान विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय की संबद्धता दी जा चुकी है, उस पाठ्यक्रम को जारी रखने का हकदार होगा, जिसके लिए प्रवेश पहले ही दिये जा चुके हों, किन्तु उपधारा (1) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र को प्रवेश नही देगा।

सम्बद्धता का विस्तार

31. जहां कोई संबद्ध महाविद्यालय शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों को जोड़ना चाहता है जिनके संबंध में उसे सम्बद्धता प्राप्त हो, धारा 30 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्ट

32. (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी, प्रस्तुत करेगा जैसी बोर्ड, विद्या और क्रियाकलाप परिषद् से परामर्श करने के बाद, महाविद्यालय की दक्षता को आंकने के उद्देश्य से

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अपेक्षा करे।

(2) बोर्ड/कार्य परिषद् ऐसे प्रत्येक क्रीड़ा महाविद्यालय/संस्थान का समय–समय पर एक निरीक्षण समिति जिसमें कुलपति, जो इसका अध्यक्ष होगा और ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं, द्वारा निरीक्षण करायेगा।

(3) कार्य परिषद् सम्बद्धता प्रस्तावों का निर्णय करते समय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

सम्बद्धता का प्रत्याहरण

33. (1) यदि कोई महाविद्यालय कार्य परिषद् के किसी निर्देश या इस अधिनियम या सम्बद्धता से संबंधित परिनियमावली के किसी उपबंधों को पालन करने में असफल रहता है तो महाविद्यालय/संस्थान से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन हेतु बनाये गये परिनियमों के अनुसार संबद्धता के विशेषाधिकार वापस लिए जा सकते है अथवा उनमें कटौती की जा सकती है।

(2) महाविद्यालय/संस्थानों की सम्बद्धता वापस लेने की अन्य शर्तें और प्रक्रिया ऐसी होंगी जैसी इस सम्बंध में परिनियमावली या विश्वविद्यालय के मानकों /राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

सम्बद्धता के प्रत्याहरण के विरूद्ध अपील

34. कोई महाविद्यालय, जो धारा 33 के अधीन पारित सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों के पूर्णतः या अंशतः प्रत्याहरण या उपांतरण के संकल्प से व्यथित हो, संकल्प संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुदान में कटौती

35. विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद् की संस्तुति पर बोर्ड /कार्य परिषद् किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के, जो जांच समिति की रिपोर्ट पर या अन्यथा रूप में सम्बद्धता की शर्तो का अनुपालन करने में बार–बार व्यतिक्रम करता हुआ पाया जाता है, अनुदान को रोके जाने या घटाये जाने की संस्तुति राज्य सरकार को कर सकता है।

स्नातकोत्तर अध्यापन

36. समस्त स्नातकोत्तर अनुदेश, अध्यापन और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय द्वारा ऐसे विषयों में संचालित किए जाएंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

अध्याय पांच

वित्त

स्थायी विन्यास निधि

37. एक "स्थायी विन्यास निधि" होगी, जिसमें राज्य सरकार दस करोड़ रुपये का आरंभिक अंशदान करेगी। विन्यास निधि को जुटाने की विधि और अधिशेष का विनिधान यथा विहित रूप से किया जायेगा।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को भुगतान

38. राज्य सरकार विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन करने के लिए समय–समय पर ऐसी धनराशि का भुगतान, ऐसी रीति से करेगी, जैसा कि आवश्यक समझा जाय।

विश्वविद्यालय की निधि

39. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(एक) राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण;

(दो) संबद्धता शुल्क और प्रभारों से आय सहित सभी स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(तीन) अनुदान, ऋण, उपहार, दान, उपकृतियां, वसीयतों या विन्यासों और अन्य अनुदानों के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निधि, यदि कोई हो;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठाचार्य पदों, अध्येतावृत्तियों या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय और उद्योग के मध्य किये गये समझौता ज्ञापन के उपबधों के निबंधनों के अनुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियां; तथा

(पांच) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ।

(2) विश्वविद्यालय की अधिशेष निधि को बोर्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया जायेगा या वित्त समिति की सिफारिश पर इस रीति से इस निमित्त समय–समय पर राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रयोग इस अधिनियम द्वारा या इसके तद्धीन अपनी शक्तियों के प्रयोग करने और अपने कार्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के लिए किया जायेगा।

लेखा परीक्षा और वार्षिक रिर्पोट

40. (1) विश्वविद्यालय समुचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और यथाविहित प्रपत्र में तथा रीति से एक ऐसा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा जिसमें आय तथा व्यय लेखा और तुलनपत्र सम्मिलित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय यथाविहित रूप में अपने वित्तीय लेखा कार्य और लेखापरीक्षा सम्बंधी कृत्यों का निर्वहन करने में समुचित आंतरिक जांच पड़ताल, संतुलन एवं नियंत्रण प्रणाली अंगीकृत करेगा।

(3) विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा परीक्षक, राज्य लेखा

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

परीक्षा विभाग द्वारा करायी जायेगी।

(4) विशेष लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा किया जायेगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन संदर्भित लेखों की लेखा परीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और बोर्ड विश्वविद्यालय को उसके संबंध में ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा।

(6) विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विवरणों से युक्त प्रतिवर्ष पूर्व वर्षों के अपने क्रियाकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे पुनरीक्षण और अनुमोदन के लिए, यथाविहित दिनांक को या उससे पूर्व वार्षिक रिपोर्ट के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(7) वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति और उस पर बोर्ड का संकल्प राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

पेंशन

41. समस्त ऐसे अधिकारीगण, अध्यापकगण और अन्य कर्मचारीगण जो विश्वविद्यालय में स्थायी प्रकृति के नियोजन में हो, राज्य सरकार की नई पेंशन योजना के सदस्य होंगे।

अध्याय छः

अनुपूरक उपबंध

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य नही होना

42. बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन या विनियमावली द्वारा गठित किसी समिति के किसी कार्य या कार्यवाहियां, विश्वविद्यालय के ऐसे बोर्ड, प्राधिकरण या समिति के गठन में मात्र कोई रिक्ति या त्रुटि के विद्यमान होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करना

43.. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के पास बोर्ड/कार्य परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करने और प्रमाण पत्र प्रदान करने तथा मानद उपाधियां और अन्य विशिष्ट उपाधियां एवं अभिधान (title) प्रदत्त करने की शक्तियां होंगी।

विवरणी और सूचनाएं

44. विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों को अपनी संपत्तियों या क्रियाकलापों के सम्बंध में ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां, विवरण और अन्य सूचनाएं समय–समय पर, उनके द्वारा यथा अपेक्षित अवधि में, प्रस्तुत करेगा और उन्हें अपनी वेबसाइट तथा अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना

45. विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसा कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय द्वारा एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये या विश्वविद्यालय के विनिर्दिष्ट कार्य के लिये नियुक्त हो या जो विश्वविद्यालय निधि से कराये

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

गये किसी कार्य के लिये भत्तों या शुल्क के माध्यम से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता हो, ऐसी नियुक्ति या कार्य से सम्बंधित कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करते समय विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी समझा जायेगा।

कर्मचारी वर्ग की सेवा की शर्ते

46. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति, लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जिसे विश्वविद्यालय के पास रखा जायेगा और जिसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के मध्य संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम, अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगाः

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से भारत का संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपभोग करने से कोई कर्मचारी निवारित नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत इस धारा की शर्तों के आधार पर मध्यस्थता माना गया समझा जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी या अध्यापन सदस्य, शिक्षणेत्तर तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवर्ग के सदस्य को ऐसी जांच, जिसमें उसे उसके विरूद्ध आरोपों को सूचित किया गया हो और उन आरोपों के सम्बंध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, के बिना पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा या पद में अवनत नहीं किया जायेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन पदच्युति, हटाये जाने या पद में अवनति किये जाने या सेवा समाप्ति के किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे आदेश को संसूचित किये जाने के दिनांक से 90 दिनों के भीतर कुलपति को की जाएगी और ऐसी अपील में कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति

47. राज्य सरकार के पास समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी करने की शक्तियां होंगी जैसा कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये अपेक्षित हो और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

परिनियमावली बनाने की शक्ति

48. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगाः–

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य, उक्त प्राधिकरणों तथा निकायों के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि, प्राधिकरणों की बैठक संचालन की शर्तें तथा उससे सम्बंधित अन्य मामले;

(ख) कुलपति, अधिकारियों, अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, शक्तियां, सेवा शर्तें, तथा उनकी परिलब्धियां, निधि, पेंशन तथा सभी अन्य संबंधित मामले;

(ग) महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने और वापस लेने की शर्तें, दीक्षांत समारोह आयोजित करना, डिग्री, डिप्लोमा, अध्येतावृत्तियां (फैलोशिप) आदि प्रदान करना, पदों के सृजन या समाप्ति की सिफारिश करना शुल्क और संबद्धता से सम्बंधित मामलों में निर्णय लेना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित महाविद्यालयों, संस्थानों, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय अध्ययन केन्द्रों का प्रबंधन तथा कर्मचारियों और छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना।

(2) परिनियमावली कैसे बनायी जायेगी:–

(क) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली कार्य परिषद् द्वारा बनाई जायेगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् तीन माह के भीतर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु यह कि राज्य सरकार परिनियमावली का परीक्षण करने के पश्चात इसे विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर या तो इसे कुलाधिपति को भेजेगी या किसी संशोधन के लिए कार्य परिषद्/बोर्ड को वापस करेगी:

परन्तु अग्रेत्तर यह कि कुलाधिपति राज्य सरकार से इसे प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर या तो परिनियमावली पर अपनी अनुमति देगा या इसे संशोधन के लिए राज्य सरकार को वापस करेगा।

(ख) कार्य परिषद् समय–समय पर नयी या अतिरिक्त परिनियामवली बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिनियमावली को संशोधित या निरसित कर सकेगी:

परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियां या उसके गठन को प्रभावित करने वाली परिनियमावली में संशोधन या निरसन तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बंध में लिखित रूप में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी प्रथम परिनियमावली कुलाधिपति के अनुमोदन के पश्चात् राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

जायेगी।

(घ) कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक नयी परिनियमावली, परिनियमों में जोड़ना या अन्य संशोधन या विद्यमान परिनियमावली का निरसन का प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा और जब तक इस प्रकार अनुमोदित न हो जाय तब तक वह विधिमान्य नही होगा।

(ङ) पूर्वगामी उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट नयी या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या परिनियमावली में संशोधन या निरसन कर सकती है:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, ऐसे दिनांक से या उक्त अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर एक विस्तृत परिनियमावली बना सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

(च) परिनियमावली, अध्यादेशों अथवा विनियमावली बनाने की शक्ति में परिनियमावली, अध्यादेशों अथवा विनियमावली को ऐसी दिनांक से पूर्वगामी प्रभाव दिये जाने की शक्ति भी सम्मिलित है, जो अधिनियम से प्रारम्भ की पूर्व की तारीख न हो, किन्तु किसी परिनियमावली, अध्यादेश अथवा विनियमावली को पूर्वगामी प्रभाव नही दिया जायेगा जिससे किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिस पर ऐसी परिनियमावली, अध्यादेश या विनियमावली लागू होती है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

49. (1) इस अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन कार्य परिषद् विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद् के परामर्श से विश्वविद्यालय के कार्यों का प्रबंधन का उपबंध करने के लिए अध्यादेश बनाएगी।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबंध किया जा सकता है, अर्थात्–

(एक) अध्ययन, पाठयक्रमों, पाठ्यचर्यों को स्थापित करना और छात्रों के प्रवेश तथा नामांकन और शिक्षा का माध्यम तथा परीक्षा;

(दो) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य विद्या सम्बंधी विशिष्ट उपाधियां और अभिधान जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान किये जा सकते है और ऐसी किन्हीं उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बंधी विशिष्ट उपाधियों और अभिधानों तथा उनकी अपेक्षाओं का प्रत्याहरण और निरस्तीकरण;

(तीन) परीक्षाओं का संचालन जिसमें परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा मोडरैस्टर की नियुक्ति की रीति एवं पदावधि तथा कर्तव्य सम्मिलित है ;

(चार) विश्वविद्यालय को, उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण, सुविधाओं, परीक्षाओं तथा अन्य प्रदान की गयी सेवाओं के

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड

लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क और अन्य प्रभार;

(पांच) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्ड, विशिष्ट प्रयोगशालाएं तथा अन्य समितियों की स्थापना;

(छः) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कार्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बेहत्तर बनाने के लिए आवश्यक हो;

(सात) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाओं, पदकों तथा पुरस्कारों को शासित करने वाली निबंधन और शर्तें;

(आठ) अन्य संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय के सहयोजन के लिए निबंधन और शर्तें;

(नौ) बजट अनुमान तैयार करना और लेखाओं का अनुरक्षण;

(दस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदा या करारों के निष्पादन की रीति;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया;

(बारह) विश्वविद्यालय के निदेशकों, प्रधान कोचों, अन्य अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें, नियुक्ति की अवधि, वेतन, भत्ते, संविदाजन्य सेवाएं, अनुशासन नियम और अन्य सेवा शर्तें;

(तेरह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शासित करने वाली निबंधन एवं शर्तें;

(चौदह) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चियों का अधिप्रमाणन;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय में अनुशासन लागू करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रकिया;

(सोलह) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायत के निवारण हेतु तंत्र स्थापित करना;

(सत्तरह) विश्वविद्यालय की संपतियों का प्रबंधन;

(अठारह) छात्रों के लिये छात्रावासों, संकायों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये आवासीय हॉलों और आवास और अतिथि गृह जिसमें अनुशासनिक नियंत्रण हो, से सम्बंधित मामले;

(उन्नीस) अन्य कोई मामला जो इस अधिनियम या परिनियमावली या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किये जा सकते है।

(3) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा कार्य परिषद् की पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे तथा इस प्रकार बनाये गए अध्यादेश को किसी भी समय कार्य परिषद् द्वारा परिनियमावली में विहित रीति से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा।

विनियमावली

50. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के अनुरूप अपने और ऐसी समितियां, यदि कोई हों, जो उनके द्वारा स्थापित की गयी हो, हेतु जो इस अधिनियम, परिनियमावली या

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा

अध्यादेशों द्वारा उपबंधित न हो, के कारबार संचालन हेतु विनियमावली बना सकते हैं।

अध्याय सात
अस्थायी उपबंध

प्रथम कुलपति की नियुक्ति

51. धारा 12 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अनधिक एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, की जायेगी।

प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति

52. धारा 17 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, की जायेगी।

प्रथम बोर्ड, कार्य परिषद् और विद्या और क्रियाकलाप परिषद् के सदस्यों की संख्या

53. धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) प्रथम बोर्ड और प्रथम कार्य परिषद् में क्रमशः 21 तथा 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें पदेन सदस्य भी सम्मिलित है, जिन्हें सरकार द्वारा नामित किया जायेगा तथा जो 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(ख) प्रथम विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद् में 21 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे तथा वे 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

कुलपति की अस्थायी नियुक्ति

54. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलपति, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है, और इस प्रयोजनार्थ वह ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी कर्तव्य का निष्पादन, जिसका विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम और विनियमावली द्वारा या तद्धीन प्रयोग या निष्पादन किया जाना हो, तब तक कर सकता है जब तक इस अधिनियम तथा विनियमावली के उपबंधों के अनुसार ऐसा प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों में संरक्षण

55. इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी विनियमावली के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के सम्बंध में विश्वविद्यालय, कुलपति, अध्यक्ष, निदेशकों, प्राधिकारियों या अधिकारियों या कर्मचारियों या विश्वविद्यालय के किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी और उनसे किसी क्षति का दावा नहीं किया जायेगा।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

56. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विनियमावली के अनुसार छात्रों और अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए परिनियमावली/अध्यादेशों में विहित रीति से शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

57. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प की प्रति या विश्वविद्यालय के कब्जे में कोई दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत् बनाये गये किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि, यदि कुलपति द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में प्रविष्टि को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में लेन–देन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा, जहां उसकी मूल प्रति, यदि प्रस्तुत की जाती है, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

कठिनाईयां दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति

58. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कर सकती है जैसा कि कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, इसे किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

59. (1) उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2024 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्याः 06 वर्ष 2024) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

(अमित सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड